(11)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

दिनांक : 15/06/2023

क्रमांक : सम्बद्धता-विस्तरण/2023-24/ 3405 (95)

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,

Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakhpur

विषय B.Com., M.A.- Drwaing & Painting, विषयों / पाठ्यक्रम में सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन सम्बद्धता समिति ने माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत योजित विषयों / पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान करने की संस्तुति की है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakhpur को संदर्भित विषयों / पाठ्यक्रमों (B.Com., M.A.- Drwaing & Painting,) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तरण प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों– प्राचार्य अनुमोदित न होने के कारण एक वर्ष हेतु सम्बद्धता विस्तरण तथा अनापत्ति आदेश में इंगित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा। शासनादेश के अनुसार स्थाई सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही महाविद्यालय को स्थाई सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य / प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर–2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वांछित संस्थानों / महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2020-21, 2021-22 तथा बी0सी0एफ0-।। का फार्म पूरित कर दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: सम्बद्धता-विस्तरण/2023-24/.....(95) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (3). अधिष्ठाता, कला, शारिरिक संकाय / परीक्षा नियंत्रक / प्रभारी / अधीक्षक, परीक्षा सामान्य अनुभाग, (4). प्रभारी / अधीक्षक, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय। (5). प्रभारी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

Deendayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur – 273009

Dated: 15/06/2023

Letter No: Affiliation-Extension/2023-24/3405 (95)

To,
Manager/Principal,
Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakhpur

Subject: Regarding providing extension of affiliation in subjects/courses B.Com. M.A.Drawing & Painting.

Sir/Madam,

In the context of the above mentioned subject, it is to be informed that in anticipation of the acceptance of the Honorable Executive Council, under the Uttar Pradesh State University Act 1973 and (section 37(2) of the amended Uttar Pradesh State University Second Foundation Act 2014), the Affiliation Committee has self-financed in anticipation of the acceptance of the Honorable Executive Council. In compliance with the instructions issued from time to time by the government under the scheme, keeping in mind the interest of the students in the planned subjects/courses, it has been recommended to grant extension of affiliation for the academic session 2023-24. Referred to Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila Mahavidyalaya, Gorakhpur on the basis of the recommendation of the Affiliation Committee.

Extension of affiliation of subjects/courses (B.Com. M.A. - Drawing & Painting) is granted under the following terms:

1. College, Affiliation Due to deficiencies pointed out by the committee, the Principal will ensure the extension of affiliation for one year and admission of students only after fulfilling the conditions indicated in the no-objection order due to non-approval. Otherwise, the admission of students will be considered invalid. According to the government order, the college will be considered for permanent affiliation only after fulfilling the standards of permanent affiliation.
2. After the Principal/Lecturers take charge, the college will provide the appointment letter, joining certificate and contract letter to the university and it will be ensured that their salaries are paid through the bank.
3. Organization mandate No. 2851/Seventy-2-2003-16(92)/2002 dated July 02, 2003 and Government Order No. 4108/Seventy- 2-2007-2(494)/2007 dated 17.10.2007 and relevant guidelines mentioned in Government Order No. 2112/Seventy-2-2008- 2(494)/2007 dated 09 May, 2008 and from time to time in this regard. Will follow other relevant government orders issued.
4. In order to comply with the order dated 20.12.2012 passed in Writ Petition No. 61859/2012, compliance with the Government Order No. 522/Seventy-2-2013-2(650)/2012 dated April 30, 2013 will be ensured by the college.
5. The college will ensure to provide information to the university about completing the records related to the deficiencies indicated in the conditional affiliation orders of certain institutions/colleges within a month. The institution will annually send a certificate to the Registrar of the University to the effect that the institution/college is continuously fulfilling the conditions of affiliation.

6. If the trust institution does not ensure the completeness and continuation of the conditions

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

institution will be banned. The action to withdraw the granted affiliation will be taken as per rules.

7. According to Section 37(2) of the Principal Act 1973 by the Uttar Pradesh State University Act (Amendment) Ordinance 2003, the institution will complete all the prescribed standards within a period of one year from the date of obtaining affiliation; otherwise the students will be barred from the next session. Entry will be restricted.

8. The organization will not be operated on a commercial basis.

9. The institution will ensure due compliance of all orders issued by the University from time to time.

10. The institution will never admit more students than the capacity prescribed by the university and will collect only the tuition and other fee prescribed by the university from the students.

11. The institution will keep the campus free from ragging.

12. The institution Will ensure due compliance with the arrangements/instructions given in the Act/Statute/Ordinance/Government Orders regarding the conduct of courses.

13. The temporary affiliation of the college is given with the condition that if any violation of legal procedure or rules is found in future in the correspondent given to the college, then the affiliation will be terminated and necessary legal action will be taken against the college as per rules in relation to the above.

14. AISHE 2020-21, 2021-22 and DCF-II by the college. Form should be completed, otherwise in case of withdrawal of affiliation; action will be taken as per rules.

Yours sincerely,

(Visheshwar Prasad)

Registrar

Page No.: Details of Affiliation/2023-24/... (95) Dated.

Copy, sent to the following for information and necessary action:-

(1). Principal Secretary, Higher Education Section-6, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. (2). Director, Higher Education Uttar Pradesh. Allahabad / Regional Higher Education Officer, Gorakhpur. (3). Dean, Arts, Commerce Faculty/Controller of Examination/Incharge/Superintendent, Examination General Section, (4). Incharge/Superintendent, sent to the committee with the intention to present it in the upcoming meeting for approval of the Honorable Executive Council/Registrar Office. (5). Secretary in charge, Vice Chancellor, for the information of the Vice Chancellor. (6). Guard File (Affiliation).

Registrar

प्राचार्या
श्रीकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज, गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner